| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 5/8/2024 | पत्रावली पेश हुई। बहु. उप.। हमने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। प्रार्थी वकील के कथन रहे कि आराजी खसरा नं. 972 रकबा 0.31 हैक्टे. वाके ग्राम अरोंदा प्रार्थी की खातेदारी का रकबा है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 972 रकबा 0.31 व प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 7 का खसरा नम्बर 971 रकबा 0.18 हे. गत खसरा नम्बर 776 मिन. रकबा 14 बि. वाके ग्राम अरोंदा से बना है। जमाबन्दी संवत 2073-2076 में आराजी खसरा नम्बर 972 रकबा 0.31 सही रूप से अंकित है। तथा जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल संख्या 2060 गत खसरा नम्बर 776 मिन रकबा 1 बी. 4 बि. रकबा रिकॉर्ड में सही है। मात्र नक्शा ट्रेस में सन 1997-98 में सहवन से हुई गलती को कलमबन्द कर नक्शा ट्रेस 1964 के अनुसार शुद्ध किया जावे। नक्शा ट्रेस में दर्शित प्रार्थी के कम रकबे को जो 0.10 हैक्टे. है. अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर नक्शा ट्रेस में दर्शित 971, 970 से शुद्ध किया जावे तथा उसी अनुरूप हाल नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर के मध्य डाली गई विवादित लाइन को शुद्ध किया जावे।<br><br>अप्रार्थी वकील की ओर से जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी वकील के कथन रहे कि हाल खसरा नम्बर 972 बंदोबस्त सं. 2060 से पूर्व 676 से बना है। संवत 2060 से पूर्व 676 एक ही नम्बर था। सेटलमेंट वाद में कब्जे अनुसार मौके अनुसार दो नंबर बना दिये। अप्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर को जरिये बयनामा खरीद किया था। तथा विक्रेता जिस प्रकार काबिज होकर काश्त करता था, उसी प्रकार कब्जा प्राप्त किया ... नक्शा ट्रेस में कोई गलती नहीं ... प्रार्थी द्वारा नक्शा ... जैसा ही है। है, नहीं बताया गया है। नक्शा ... में दुरूस्ती दावा 88, 89, 188 आरटी एक्ट के तहत की जा सकती है। अतः प्रार्थना-पत्र काबिल खारिजी के है। | |

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:50:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | हमने बहस को सुना। उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया तो पाया कि 972 खसरा नम्बर व 971 खसरा नम्बर, गत खसरा नम्बर 776 से बने हुए हैं, जैसा तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 26/02/2024 में स्पष्ट है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट खसरा नम्बर 972 से लगते हुए खसरा नम्बर 970, 971 है। जिनका नक्शा ट्रेस में शामिल रकबा 2660 वर्ग मी. बैठता है। जमाबंदी में 971/0.18, 970/0.01 दर्ज है। तथा बन्दोबस्त सं. 2060 में अलग-अलग नम्बर बनाते समय रकबा की सही-सही गणना नहीं की गई है। खसरा नम्बर 970, 971 के कुल रकबा हाल ट्रेस नक्शा अनुरूप 2660 वर्ग मीटर में से 760 वर्ग मीटर कम कर खसरा नम्बर 972 में जोड़ा जाना उचित बताया गया है। अप्रार्थीगणों द्वारा किसी बयनामा दस्तावेज को पेश नहीं किये गये हैं। तथा खसरा नम्बर 676 का जिक्र किया गया है, जो प्रार्थना-पत्र से संबंधित आराजी खसरा नम्बरान से मेल नहीं खाते हैं। अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट नक्शा ट्रेस में शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br><br>प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 26/02/24 नक्शा ट्रेस को शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार नदबई, मुताबिक रिपोर्ट नक्शा ट्रेस में तरमीम [illegible]। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 26/02/2024 निर्णय के साथ नत्थी [illegible] प्रार्थना-पत्र [illegible] से कम किया जाकर [illegible] हेतु नम्बर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>नदबई (भरतपुर) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:50:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner